डा० निर्मल कुमार सिंह
राजनीति विज्ञान विभाग

दिनांक
18.4.20

"ब्रिटिश संविधान एवं इसकी विशेषतायें"

"British Constitution and its features"

ब्रिटिश संविधान यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन तथा उत्तरी आयरलैंड का संविधान है। इंगलैंड वेल्स और स्कॉटलैंड से मिलकर ग्रेट ब्रिटेन बना है। इंगलैंड एवं वेल्स का एकीकरण 1535 में हुआ था और ग्रेट ब्रिटेन के राज्य का निर्माण करने के लिए उनमें स्कॉटलैंड 1707 में सम्मिलित हुआ था जबकि यूनाइटेड ऑफ ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड की स्थापना 1921 में हुई थी।

ब्रिटिश संविधान दुनिया में सबसे पुराना है और साथ ही यह सबसे पुरानी जनतांत्रिक

प्रणाली भी है। यथार्थ में ब्रिटिश संविधान संविधानों की जननी है। प्रति निधि सरकार के सिद्धान्तों तथा इसकी संस्थाओं का विकास सर्वप्रथम ब्रिटेन में हुआ था। ब्रिटिश संविधान राजतंत्र, अभिजात तंत्र, और जनतंत्र का मिश्रण है।

ब्रिटिश संविधान की मुख्य विशेषतायें निम्नलिखित हैं:—

① अलिखित संविधान —

(Unwritten Constitution)

अमेरिकी संविधान के विपरीत ब्रिटिश संविधान अलिखित है। यूनाइटेड किंगडम में सरकारी अधिकारों के वितरण और प्रयोग को निर्धारित करने वाले अधिकांश सिद्धान्त लिखित नहीं हैं। ब्रिटिश संविधान का केवल आंशिक भाग ही लिखित दस्तावेजों में है।

क्रमशः —